

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 43/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दशरथ सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।
निवासी - 1046/54, गली नम्बर 2, अम्बिका विहार कॉलोनी, बलदेव नगर, अजमेर जिला अजमेर।
2. श्री विनोद राजपुरोहित पुत्र श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित (प्रोपराईटर), मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।
निवासी - 1046/54, गली नम्बर 2, अम्बिका विहार कॉलोनी, बलदेव नगर, अजमेर जिला अजमेर।
3. मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री बी एस शेखावत

—: आदेश :—

दिनांक - 16.01.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी (पैकड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.04.2025 को 04:00 पीएम पर मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा अजमेर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित मौके



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (.....) अजमेर

मेर

पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 500मिली के 40 पैकेट घी (पैक्ड) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त घी (पैक्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 02 किलोग्राम घी (पैक्ड) (500 मिली के 04 पैकेट) रु. 1160/- रूपयें श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित को नगद देकर गवाह श्री दीपक कुमार सिन्धी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी (पैक्ड) को चार साफ, खुली प्लास्टिक की बोतल में बराबर बराबर मात्रा में भरकर, चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात् लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4815 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/3110 दिनांक 02.05.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलसस/351/एक्ट/2025/371 दिनांक 17.04.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया घी (पैक्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय सेम्पल की जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री बी एस शेखावत ने उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होंने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न तो नियमानुसार नमूना लेने की कार्यवाही की, न ही नमूने की जाँच निर्धारित मानक के अनुसार हुई और न ही प्रार्थीगण को नमूना पुनः जाँच का अधिकार दिया गया। खाद्य विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट नोटिस के साथ अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई है। परिवादी द्वारा मात्र आयोडिन वैल्यू में वृद्धि के आधार पर उत्पाद को अवमानक माना है जो कि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि आयोडीन वैल्यू शुद्धता निर्धारण का परीक्षण न होकर मात्र एक भौतिक रासायनिक विशेषता है जो कि विभिन्न प्राकृतिक कारणों से परिवर्तित होती रहती है। घी का आयोडिन वैल्यू दूध में उपस्थित फ़ैटी एसिड संरचना, पशु जाति, स्थानिक जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र, चारे, मौसमी तापमान, भण्डारण तथा ऑक्सीकरण जैसे प्राकृतिक कारणों से प्रभावित होता है तथा किसी भी प्रकार से मिलावट का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभियोजन स्वीकृति अधिकारी अधिनियम की धारा 36 व 37 के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। अतः उनके द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही, उसके बाद की कार्यवाही तथा परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैध हो जाती है जिस कारण परिवाद खारिज योग्य है। साथ ही अभियोजन स्वीकृति अधिकारी ने स्वीकृति में स्वीकृति जारी करने के कारण या नमूने में पायी गयी कमियों का अकन नहीं किया गया है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होंने परिवाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न खाद्य विश्लेषक अजमेर की जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (पैकड) में Iodine Value निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फूड प्रोडक्ट्स स्टेण्डर्ड्स एण्ड फूड एडिटिव) मानक 2011 (मानक सं 2.1.8) के अनुसार नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर कुल रू. 15,000/- (पन्द्रह हजार) शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 16.01.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति कंकवानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
आतिरिक्त जिला कलेक्टर (अजमेर) अजमेर

क्रमांक : सरिस्ता/अपर/2026/858 - 863

दिनांक : 23/12/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
4. श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दशरथ सिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।
निवासी - 1046/54, गली नम्बर 2, अम्बिका विहार कॉलोनी, बलदेव नगर, अजमेर जिला अजमेर।
5. श्री विनोद राजपुरोहित पुत्र श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित (प्रोपराईटर), मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।
निवासी - 1046/54, गली नम्बर 2, अम्बिका विहार कॉलोनी, बलदेव नगर, अजमेर जिला अजमेर।
6. मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर जिला अजमेर।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
आतिरिक्त जिला कलेक्टर (अजमेर) अजमेर